आदेश

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य आपदा मोचन निधि से कृषि/औद्यानिक फसलों की क्षति के लिये प्रभावितों को कृषि इनपुट सब्सिडी मद में राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिये शासनादेश संख्या–1125/XVIII–(2)/12–(12) 2013/T.C. 2007, दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा जनपद अल्मोड़ा को रू0 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र का धनावटंन प्राप्त हुआ है। शासनादेशुसार आवंटित धनराशि को जनपद के समस्त तहसीलदारों को निम्न शर्तों के अधीन आवंटित/स्वीकृत करते हुये व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	तहसील का नाम	स्वीकृत धनराशि
1–	अल्मोड़ा	रू0 20,00,000–00
2–	रानीखेत	रू0 10,00,000–00
3–	भिकियासैण	रू0 5,00,000–00
4–	सल्ट	रू0 10,00,000–00
5–	भनोली	रू0 10,00,000–00
6–	जैंती	रू0 10,00,000–00
7–	द्वाराहाट	रू0 5,00,000–00
8–	सोमेश्वर	रू0 10,00,000–00
9–	चौखुटिया	रू0 5,00,000–00
10–	स्याल्दे	रू0 5,00,000–00
11–	लमगड़ा	रू0 10,00,000–00
	योग–	रू0 1,00,00,000–00 (एक करोड़) मात्र

2– भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32–7/2014–NDM-I , दिनांक 08 अप्रैल 2015 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को प्रेषित की जा रही है, इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों पर राहत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध है। कृपया दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0–05 का सम्यक व गहन अध्ययन उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित तहसीलदार का उत्तरदायित्व होगा।

4– स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परता पूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों में शीघ्रताशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।

5– प्रभावितों की सम्यक पहचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाए। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर भारत सरकार भारत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

8– आवंटित धनराशि प्रत्येक दशा में तीन दिनों के अन्दर वितरित की जाये।

9– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800– अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– 5417 /तेरह–05/2014–15, दिनांक– 16 अप्रैल 2015

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

5– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत मद में राहत राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सम्यक अध्ययन करने उपरान्त शीघ्रताशीघ्र राहत सहायता वितरित करवाना सुनिश्चित करें।

6– समस्त तहसीलदार, जनपद अल्मोड़ा/नायब तहसीलदार, लमगड़ा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सम्यक अध्ययन करने उपरान्त शीघ्रताशीघ्र राहत सहायता वितरित करवाना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा व जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि प्रभावितों में राहत सहायता शीघ्रताशीघ्र वितरित किये जाने के लिये राजस्व विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।

9– जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।

10– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।

11– कार्यालय प्रति।

16/04/15
(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।